

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28(1)पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./से.नि./2016/२५०६ जयपुर,दिनांक: ८.६.१६

-: आ दे श :-

राजस्थान अधिनस्थ सेवा की श्रीमती राजकिशोरी माथुर, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30.06.2016 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। श्रीमती माथुर की जन्मतिथि 30.09.1959 है एवं उनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.02.1982 है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती राजकिशोरी माथुर को दिनांक 30.06.2016 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(मातादीन शर्मा)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1745 दिनांक 27.05.2016 के क्रम में।
3. विकास अधिकारी, पं.स. दूदू (जयपुर)
4. श्रीमती राजकिशोरी माथुर, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव